UPBL010024892026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।
पीठासीन अधिकारी- श्री अनिल कुमार झा, (एच0जे0एस0)

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1023/2026

सदानन्द राजभर उर्फ सदा पुत्र हरि, साकिन–ग्राम फिरोजपुर, थाना–रसड़ा, जिला–बलिया ।

-----------प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उ०प्र० राज्य

-----------------अभियोजन पक्ष ।

मु0अ0सं0–153/2026
धारा–191(2),115(2),109(1),333, 125,118(1) बी०एन०एस० व 4/25 आर्म्स एक्ट।
थाना–रसड़ा, जिला–बलिया।

दिनांकः–29.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रार्थी/अभियुक्त सदानन्द राजभर उर्फ सदा की ओर से मु0अ0सं0–153/2026, अन्तर्गत धारा– 191(2),115(2),109(1),333,125,118(1) बी०एन०एस० व 4/25 आर्म्स एक्ट।, थाना–रसड़ा, जिला बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता प्रसुराम प्रसाद द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी शान्ती पत्नी रमेश राजभर ग्राम फिरोजपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया की निवासिनी है । वादिनी के पुत्र ओमप्रकाश राजभर के घर के समीप ही राजेश राजभर ने साजिश के तहत सुनील राजभर, सादा राजभर, दीपक राजभर वादिनी के लड़के को धारदार हथियार व लाठी, डण्डा लेकर मारने की नियत से हमला कर दिए जान बचाने के लिए वादिनी का लड़का घर में भागकर आया तो झुण्ड में लाठी, डण्डा व धारदार हथियार लेकर सुनील राजभर, धन कुमार, नन्द कुमार, सूर्यप्रकाश, दीपक राजभर आदि अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हमला और आक्रमण कर दिया, जिससे वादिनी, कविता, रविशंकर आदि को गम्भीर चोटें आई तथा सिर फट गया । यह घटना दिनांक 07.05.2026 को सांय लगभग 7 बजे की है । इन लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से धारदार हथियार के साथ ईट–पत्थर भी चलाया गया । वादिनी के प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाना रसड़ा में प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया । मामला विवेचनाधीन है ।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई घटना कारित नहीं किया है । आवेदक को गलत एवं फर्जी रुप से फंसाया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे विलम्ब से अंकित कराई गई है, विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । आवेदक की गिरफ्तारी कोटवारी शिव मन्दिर के पास से दिनांक 11.05.2026 को बताया गया है, जो बिल्कुल गलत व फर्जी है असलियत यह है कि थाना रसड़ा की पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाना पर बुलाया गया और थाना रसड़ा पर ही लगभग 3–4 दिन रोक कर पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.2026 को चालान कर दिया गया । आवेदक दिनांक 11.05.2026 से ही जिला कारागार मे निरूद्ध है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

6– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने इस आशय का तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादिनी के पुत्र ओम प्रकाश राजभर पर हमला किए तथा वादिनी के घर में घुस कर वादिनी शान्ती, कविता, रविशंकर आदि को लाठी, डण्डा, ईट–पत्थर व सदानन्द राजभर उर्फ सदा द्वारा धारदार हथियार हसिया से मारपीट कर गम्भीर चोटें कारित की गई है । प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.06.29 18:26:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7– पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, इस स्तर तक केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान आदि संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादिनी के पुत्र ओमप्रकाश राजभर पर हमला किए व वादिनी के घर में घुस कर वादिनी शान्ती, कविता, रविशंकर आदि को लाठी, डण्डा, ईट–पत्थर व सदानन्द राजभर उर्फ सदा द्वारा धारदार हथियार हसिया से मारपीट कर गम्भीर चोटें कारित करने का अभियोजन कथानक है ।

8– मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल ओमप्रकाश के शरीर पर निम्न चोटें पाए जाने का उल्लेख किया गया है–
(i) Incised wound size about 10x1cm in to scalp deep in Rt. side Temporal in above ear pinna 5cm. (ii) L/W frontal Head wound size about 02 x 01cm Scalp deep. (iii) L/W parietal bone size about 2.5 x 0.5cm Scalp deep. (iv) L/W Lt. Hand small finger size about 01 x 0.5cm.

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल/वादिनी शान्ती देवी के शरीर पर निम्न चोटें पाए जाने का उल्लेख किया गया है–
(i) Complain of pain in Lt. side hip region.
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल कविता कुमारी के शरीर पर निम्न चोटें पाए जाने का उल्लेख किया गया है–
(i) Incised wound 2.5 x 01cm in to deep skin in Lt. side of mid thigh above the knee joint 14cm.
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल रविशंकर के शरीर पर निम्न चोटें पाए जाने का उल्लेख किया गया है–
(i) L/W Lt. side Occipital region size about 4.5 x 0.5cm in deep Scalp. (ii) L/W Rt. hand index finger size about 01 x 0.5cm.

9– वादिनी/चुटैल/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती शान्ती ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि "घटना दिनांक 07.05.2026 को सांय करीब 07 बजे की है । मेरा लड़का ओमप्रकाश राजभर अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था कि पुरानी रंजिश को लेकर मेरे ही गांव के राजेश राजभर, सदानन्द राजभर उर्फ सादा, सुनील राजभर, दीपक राजभर मेरे लड़के को लाठी, डण्डा तथा ईट पत्थर से मारने पीटने लगे थे । मेरा लड़का किसी तरह से जान बचाकर भागकर घर में आया तो राजेश राजभर, सदानन्द राजभर उर्फ सादा, सुनील राजभर व दीपक राजभर के साथ धन कुमार, नन्द कुमार व सूर्यप्रकाश भी एक राय होकर मेरे घर में घुस कर हम परिवार वालों पर जान से मारने की नियत से ईट, पत्थर व लाठी, डण्डा से मारने पीटने लगे जिससे मुझे, मेरी लड़की कविता, लड़का ओमप्रकाश व मेरी बहन का लड़का रविशंकर को काफी चोटें आयी तथा विपक्षीगण ने मेरे लड़के ओमप्रकाश के ऊपर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर दिया था । हम लोगों ने शोर मचाया तो आस–पास के लोग के इकट्ठा हो जाने के कारण विपक्षीगण मौके से भाग गए थे । यह घटना हम लोगों के साथ विपक्षीगण ने प्रधान राजेश राजभर द्वारा पूर्व में गाली देने व गाली दिलवाने की बात को लेकर घटित की है ।" इसी प्रकार का साक्ष्य अन्य चुटहिल साक्षी कविता ने दिया है ।

9– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा चुटैलों को जान से मारने की नियत उनके मर्म स्थल सिर पर बार–बार प्रहार किया गया है, जिसके कारण चुटैल ओम प्रकाश के सिर पर एक कटा हुआ घाव व दो फटा हुआ घाव एवं मजरूब रविशंकर के सिर पर एक फटा हुआ घाव पाया गया है ।

10– पुलिस कर्मचारीगण द्वारा दिनांक 11.05.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त धन कुमार को गिरफ्तार किए जाने पर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद हसिया (नारियल छिलने वाला) बरामद किए जाने का कथन किया गया है । प्रकरण अभी विवेचनाधीन है ।

आदेश पत्रक के मार्जिन पर अभिलिखित सत्र लिपिक की आख्यानुसार सह-अभियुक्त धन कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1042/2026 दिनांक 10.06.2026 को गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, मजरुबों की चोटों की प्रकृति एवं अपराध की गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सदानन्द राजभर उर्फ सदा का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 29.06.2026
Steno–R.S.Sen

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया।
ID No. UP 06529